भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 442
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

442. डॉ. राजेश मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसआई) चरण-4 के तहत सड़कों का निर्माण कब तक शुरू होने की संभावना है;

(ख) इस योजना के इस चरण के तहत मध्य प्रदेश में कितनी सड़कों की पहचान की गई है;

(ग) सीधी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितनी नई सड़कों का सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) इस निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सड़कों को मंजूरी प्रदान की गई है; और

(ङ) इस चरण में सड़कों का निर्माण शुरू करने के लिए प्राथमिकता किस आधार पर तय की गई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): माह सितंबर 2024 में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पीएमजीएसवाई-IV नामक एक नया घटक शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों 500+ जनसंख्या और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, विशेष श्रेणी वाले क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, मरूस्थलीय क्षेत्रों) में 250+ जनसंख्या और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या वाली संपर्कविहीन बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है।

योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक है। पात्र बसावटों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है, और अब राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से

प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है। दिनांक 26.11.2025 तक, पीएमजीएसवाई-I V के तहत जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल 1,781 कि.मी. सड़क स्वीकृत की जा चुकी है।

(ख): पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के एमआईएस पर रिपोर्ट किए गए डेटा के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य में कुल 10,337 बसावटों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें से 5,660 बसावटों को पीएमजीएसवाई-I V के कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 27.11.25 तक जांच के बाद पात्र पाया गया है।

(ग) और (घ): इस मंत्रालय में निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते; हालांकि, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पीएमजीएसवाई-I V के अंतर्गत सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुल 912 बसावटों का सर्वेक्षण किया गया है। उक्त निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(ङ): कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत कार्यों के चयन का आधार केवल कोर नेटवर्क ही है। कोर नेटवर्क तैयार हो जाने के बाद राज्यों को पीएमजीएसवाई के तहत सभी प्रस्तावित सड़क लिंक (सड़क कोड, बसावट कोड के साथ जोडी जा रही बसावट का नाम, लाभान्वित होने वाली आबादी और लंबाई सहित) के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर एक व्यापक नई कनेक्टिविटी प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) तैयार करनी होगी। पीएमजीएसवाई-I V के अंतर्गत संपर्कविहीन बसावटों को भारत सरकार की अभिसरण योजनाओं के तहत तथा इसके पश्चात पीएमजीएसवाई-I के दिशानिर्देशों के आधार पर चयन/प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा, उन्हें नई सड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के उद्देश्यों के अनुसार, पीएमजीएसवाई-I V में आंकांक्षी ब्लॉकों के जनजातीय गांवों और उच्च जनजातीय आबादी और कम विकास वाले क्षेत्रों, अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार कम से कम 500 की जनसंख्या वाले और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनजातीय बहुल गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस प्रकार, सीएनसीपीएल को निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में समूहबद्ध किया जाएगा :

प्राथमिकता सं.	**जनसंख्या आकार**
1(क)	धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत - 2011 की जनगणना के अनुसार 500 या उससे अधिक जनसंख्या और 50% या उससे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी

	- 2011 की जनगणना के अनुसार आकांक्षी जिलों में 250+ जनसंख्या श्रेणी में 50 या अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या
1 (ख)	प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के तहत - जनगणना 2011 के अनुसार 500 या अधिक जनसंख्या और 40% या अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या
I I	पीएमजीएसवाई-I V और ग्रामीण सड़क घटक (जैसा कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया गया है) सहित केंद्र सरकार की पात्र अभिसरण योजनाओं के तहत जनसंख्या आकार।
I I I	1000+
I V	500-999
V	250-499
VI	100-249

******